

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक 12/01/2020

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति मेधावृत्ति योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से 10वीं की परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं एवं इन्टर की परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्राओं को वृत्तिका योजना के अन्तर्गत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति, कल्याण विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-264 दिनांक-23.12.2025 के द्वारा स्वीकृत 70,00,00,000/- (सत्तर करोड़) एवं स्वीकृत्यादेश संख्या-265, दिनांक-23.12.2025 के द्वारा स्वीकृत 10,50,00,000/- (दस करोड़ पचास लाख) रुपये मात्र रुपये मात्र के विमुक्त के संबंध में।

आदेश :- विमुक्ति की स्वीकृति।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति मेधावृत्ति योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से 10वीं की परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं को क्रमशः रु 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र एवं रु 8,000/- (आठ हजार) रुपये मात्र की दर से तथा इन्टर की परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति छात्राओं को क्रमशः रु 15,000/- (पन्द्रह हजार) रुपये मात्र एवं रु 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की दर से वृत्तिका के रूप में देने हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या-264, दिनांक-23.12.2025 के द्वारा मैट्रिक उत्तीर्ण के लिए अनु0 जाति मद में 52,50,00,000/- (बावन करोड़ पचास लाख) तथा इन्टर उत्तीर्ण के लिए अनु0 जाति मद में रु 17,50,00,000/- (सत्रह करोड़ पचास लाख) अर्थात् कुल रु 70,00,00,000/- (सत्तर करोड़) रुपये मात्र की स्वीकृति दी गई है एवं स्वीकृत्यादेश संख्या-265, दिनांक-23.12.2025 के द्वारा मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए अनु0 जनजाति मद में 7,00,00,000/- (सात करोड़) तथा इन्टर परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु0 जनजाति के छात्राओं के लिए अनु0 जनजाति मद में रु 3,50,00,000/- (तीन करोड़ पचास लाख) अर्थात् कुल रु 10,50,00,000/- (दस करोड़ पचास लाख) रुपये मात्र की स्वीकृति दी गई है, उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध विमुक्ति किया जा रहा है। विमुक्त की जाने वाली राशि की विवरणी निम्नवत है-

(क) अनुसूचित जाति (मैट्रिक एवं इन्टर उत्तीर्ण)

क्र सं0	कल्याण विभाग का स्वीकृत्यादेश सं0/दिनांक	विषयशीर्ष	मांग सं0	मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1.	264 23.12.2025	0107.34.01 छात्रवृत्ति/वजिफा	44	2225	01	277	0107	52,50,00,000	मैट्रिक उत्तीर्ण
2.	264 23.12.2025	0107.34.01 छात्रवृत्ति/वजिफा	44	2225	01	277	0107	17,50,00,000	इन्टर उत्तीर्ण
कुल = (सत्तर करोड़) रुपये मात्र								70,00,00,000	

Sum

(ख) अनुसूचित जनजाति (मैट्रिक एवं इंटर उत्तीर्ण)

क्र सं०	कल्याण विभाग का स्वीकृत्यादेश सं०/दिनांक	विषयशीर्ष	मांग सं०	मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1.	265 23.12.2025	0101.34.01 छात्रवृत्ति/वजिफा	44	2225	02	277	0101	7,00,00,000	मैट्रिक उत्तीर्ण
2.	265 23.12.2025	0101.34.01 छात्रवृत्ति/वजिफा	44	2225	02	277	0101	3,50,00,000	इंटर उत्तीर्ण
कुल = (दस करोड़ पचास लाख) रुपये मात्र								10,50,00,000	

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा उक्त स्वीकृत्यादेश संख्या-264, दिनांक-23.12.2025 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या-265, दिनांक-23.12.2025 के आलोक में स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।
- यह राशि बिहार के स्थायी निवासी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, के संबंधित छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से उत्तीर्णता के आधार पर को उपलब्ध कराया जायेगा।
- इस स्वीकृत राशि के विरुद्ध अवांटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। संकल्प सं०-3098, दिनांक-20.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना होंगे।
- विभागीय आदेश सं०-09/छात्रवृत्ति-03/2019-250, दिनांक-29.07.2024 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित सभी छात्रवृत्ति/मेधावृत्ति योजना तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, जिसका क्रियान्वयन शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा किया जाता है। उक्त योजनाओं के राशि की निकासी एवं व्यय हेतु श्री बाल्मीकि कुमार, अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया गया है, राशि की निकासी कर DBT/PFMS के माध्यम से लाभुकों के खाते में अंतरित करना सुनिश्चित करेंगे।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना की राशि PFMS के माध्यम से हस्तान्तरित करने हेतु HDFC Bank बोरिंग रोड, पटना शाखा में Mukhyamantri Medhavriti Yojana SC-ST के नाम से खाता खोला गया है, जिसका खाता संख्या-50100304982032, IFSC Code- HDFC0000235 है, में राशि की निकासी कर जमा करेंगे।
- शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, उक्त योजनाओं की राशि बिहार कोषागार संहिता-2011 के माध्यम से BTC-43 पर निकासी कर DBT के माध्यम से सीधे संबंधित लाभुकों के खाते में राशि अन्तरण करेंगे। साथ ही व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग को भेजेंगे।
- वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4792 दिनांक-04.08.2021 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना स्वीकृत राशि के समूचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय।
- राशि का व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक-3808 दिनांक-02.06.2017 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निर्देशों के आलोक में करेंगे और साथ ही सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित अर्हता को पूर्ण करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को ही प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जाये।
- राशि व्यय में मितव्ययिता बरती जाए तथा राशि का विचलन अन्य मदों में न किया जाए तथा अनावश्यक रूप से राशि को बैंक खाता में नहीं रखा जाए।

Sam Jm

11. यह स्वीकृत्यादेश, वित्त विभागीय संकल्प सं-12888, दिनांक- 03.12.2024 के कंडिका 3 एवं 5 (ख) (ii) के आलोक में निर्गत की जा रही है।
12. इस विमुक्ति आदेश पर संचिका संख्या-09/प्री0 मै0 छात्रवृत्ति (पि0 वर्ग)-01/2020 अंश-02 के नोट संख्या-...५५... पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।
13. इस विमुक्ति आदेश पर संचिका संख्या-09/प्री0 मै0 छात्रवृत्ति (पि0 वर्ग)-01/2020 अंश-02 के नोट संख्या-...५३... पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 09/प्री0 मै0 छात्रवृत्ति (पि0 वर्ग)-01/2020 अंश-02..... पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

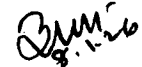
ह0/-

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 09/प्री0 मै0 छात्रवृत्ति (पि0 वर्ग)-01/2020 अंश-02...319 पटना, दिनांक-12/01/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त बिहार/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/CFMS/DBT के नोडल पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/विभागीय लेखा शाखा/State Informatics Officer, NIC, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

Saw

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०- 5/निदे०(मेधावृत्ति)-61-01/2014- 2641

प्रेषक,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक - 23/12/2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में 'मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति मेधावृत्ति योजना' के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु० जाति के छात्र/छात्राओं को वृत्तिका योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र/छात्रा को क्रमशः ₹10,000/- (दस हजार रु०) एवं ₹ 8,000/- (आठ हजार रु०) तथा इंटर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु० जाति के छात्राओं को वृत्तिका योजना के अन्तर्गत प्रति छात्रा को क्रमशः ₹15,000/- (पन्द्रह हजार रु०) एवं ₹10,000/- (दस हजार रु०) की दर से वृत्तिका के रूप में देने हेतु मैट्रिक उत्तीर्ण के लिए अनु० जाति मद में ₹52,50,00,000/- (बावन करोड़ पचास लाख रु०), तथा इंटर उत्तीर्ण के लिए अनु० जाति मद में ₹17,50,00,000/- (सतराह करोड़ पचास लाख रु०), अर्थात् कुल ₹70,00,00,000/- (सत्तर करोड़ रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपबंधित राशि एवं उद्व्यय के आलोक में राज्य स्कीम मांग सं०-44 के अन्तर्गत आय-व्ययक मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0107-शिक्षा- विषय शीर्ष-0107.34.01- छात्रवृत्ति/वजीफा- विपत्र कोड-44-2225012770107 के अधीन बजट उपबंध से राशि वहन किया जायेगा।

3- यह राशि बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्णता के अनुसार संबंधित छात्र/छात्रा को उपलब्ध कराया जाएगा।

4- इस स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। संकल्प सख्यां-3098 दिनांक-20.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

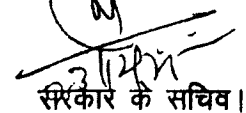
5- शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी मेधावृत्ति की राशि बिहार कोषागार संहिता-2011 के माध्यम से BTC-43 पर निकासी कर DBT के माध्यम से सीधे संबंधित लाभुकों के खाता में राशि का अन्तरण करेंगे। मेधावृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

6- राशि का व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7- इस राशि की स्वीकृति पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-5/निदे०(मेधावृत्ति)-61-01/2014 के पृ०-216/टि० पर प्राप्त है।

8- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दिया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


सरकार के सचिव।



ज्ञापांक- 5/निदे0(मेधावृत्ति)-61-01/2014- 264 पटना, दिनांक- 23/12/2025
प्रतिलिपि-विकास आयुक्त, बिहार/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक- 5/निदे0(मेधावृत्ति)-61-01/2014- 264 पटना, दिनांक- 23/12/2025
प्रतिलिपि:- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- 5/निदे0(मेधावृत्ति)-61-01/2014- 264 पटना, दिनांक- 23/12/2025
प्रतिलिपि:-निदेशक/प्रभारी बजट शाखा/प्रशाखा पदा0-5(निदे0)/आई0 टी0 मैनेजर/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- 5/निदे0(मेधावृत्ति)-61-01/2014- 264 पटना, दिनांक- 23/12/2025
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

2

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०- 5/निदे०(मेधावृत्ति)-61-01/2014- 265

प्रेषक,

दिवेश सेहरा
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक - 23/12/2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में "मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति मेधावृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं को वृत्तिका योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र/छात्रा को क्रमशः ₹10,000/- (दस हजार ₹0) एवं ₹ 8,000/- (आठ हजार ₹0) तथा इंटर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु० जनजाति के छात्रा को वृत्तिका योजना के अन्तर्गत प्रति छात्रा को क्रमशः ₹15,000/- (पन्द्रह हजार ₹0) एवं ₹10,000/- (दस हजार ₹0) की दर से वृत्तिका के रूप में देने हेतु मैट्रिक उत्तीर्ण के लिए अनुसूचित जनजाति मद में ₹7,00,00,000/- (सात करोड़ ₹0) तथा इंटर उत्तीर्ण के लिए अनु० जनजाति मद में ₹3,50,00,000/- (तीन करोड़ पचास लाख ₹0) अर्थात् कुल ₹10,50,00,000/- (दस करोड़ पचास लाख ₹0) मात्र की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपबंधित राशि एवं उद्व्यय के आलोक में राज्य स्कीम मांग सं०-44 के अन्तर्गत आय-व्ययक मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0101-शिक्षा- विषय शीर्ष-0101.34.01- छात्रवृत्ति/वजीफा- विपत्र कोड-44-2225022770101 के अधीन बजट उपबंध से राशि वहन किया जायेगा।

3- यह राशि बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्णता के अनुसार सम्बंधित छात्र/छात्रा को उपलब्ध कराया जाएगा।

4- इस स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। संकल्प सख्या-3098 दिनांक-20.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

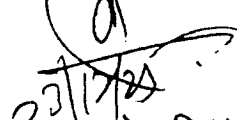
5- शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी मेधावृत्ति की राशि बिहार कोषागार संहिता-2011 के माध्यम से BTC-43 पर निकासी कर DBT के माध्यम से सीधे संबंधित लाभुकों के खाता में राशि का अन्तरण करेंगे। मेधावृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

6- राशि का व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7- इस राशि की स्वीकृति पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-5/निदे०(मेधावृत्ति)-61-01/2014 के पृ-26/टि० पर प्राप्त है।

8 - कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दिया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


सरकार के सचिव।



ज्ञापांक- 5/निदे0(मेधावृत्ति)-61-01/2014- 265⁻²⁻ पटना, दिनांक- 23/12/2025
प्रतिलिपि-विकास आयुक्त, बिहार/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक- 5/निदे0(मेधावृत्ति)-61-01/2014- 265 पटना, दिनांक- 23/12/2025
प्रतिलिपि:- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- 5/निदे0(मेधावृत्ति)-61-01/2014- 265 पटना, दिनांक- 23/12/2025
प्रतिलिपि:-निदेशक/प्रभारी बजट शाखा/प्रशाखा पदा0-5(निदे0)/आई0 टी0 मैनेजर/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- 5/निदे0(मेधावृत्ति)-61-01/2014- 265 पटना, दिनांक- 23/12/2025
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Relief